दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 24 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 294

महत्वपूर्ण एवं खास

लोकसभा में पेश हुआ जहाजों की सुरक्षा, सुगम परिचालन संबन्धी विधेयक

नई दिल्ली (आरएनएस)। नदियों में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण व सुगम परिचालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किया। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ही अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 को मंजूरी दी थी। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिल पेश करते वक्त कहा, इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून में ही इस विधेयक को मंजूरी दी थी। सोनोवाल ने कहा, यह बिल किफायती और सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देगा। साथ ही देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों और नेविगेशन से संबंधित कानून के लागू होने में एकरूपता लाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विभागों की जिम्मेदारी तय करने में मदद होगी। फिलहाल देश में 4000 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग चालू हैं। मंत्रिमंडल में मंजूरी देते वक्त सरकार ने कहा था कि नदी में परिचालन करने वाले जहाजों का पंजीकरण एवं परिचालन संबंधी व्यवस्था अभी भारतीय जहाज अधिनियम के दायरे में आती है। यह कानून 1917 में बनाया गया था और काफी पुराना हो गया है। सरकार ने कहा कि उस समय सभी राज्यों के अपने-अपने नियमन थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी और इससे समस्या पैदा होती थी। ऐसे में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

टीएमसी सांसद शांतनु सेन राज्यसभा की पूरी कार्यवाही से निलंबित

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से उनके बयान की प्रति छीनकर फाड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतुन सेन पर गाज गिरी है। सदन में निलंबन प्रस्ताव पास होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन को अशोभनीय आचरण के लिए संसद के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि शांतनु ने ने गुरुवार को राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से कागज छीन लिया था और उसके टुकड़े कर हवा में लहरा दिये थे। वैष्णव उस समय उच्च सदन में पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिये भारतीयों की जासूसी करने संबंधी खबरों और इस मामले में विपक्ष के आरोपों पर सदन में बयान दे रहे थे। दरअसल, उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को शांतनु सेन के निलंबन की घोषणा की। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल बृहस्पतिवार को हुई घटना का जिक्र किया और इसे अशोभनीय बताया। सभापति ने कहा कि कल जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से उससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए 80 नामों की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए एक जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2021 के बीच 80 नामों की सिफारिश की है। इनमें से 45 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जा चुका है। राज्य सभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दी। उन्होंने बताया कि शेष न्यायधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के साथ विभिन्न चरणों पर कार्यवाही चल रही है। कानून मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसलिए, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक समय का संकेत नहीं दिया जा सकता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों के लिए 1,098 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। मौजूदा वक्त में 645 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 453 की कमी है।

चुनावों में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

» बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाए

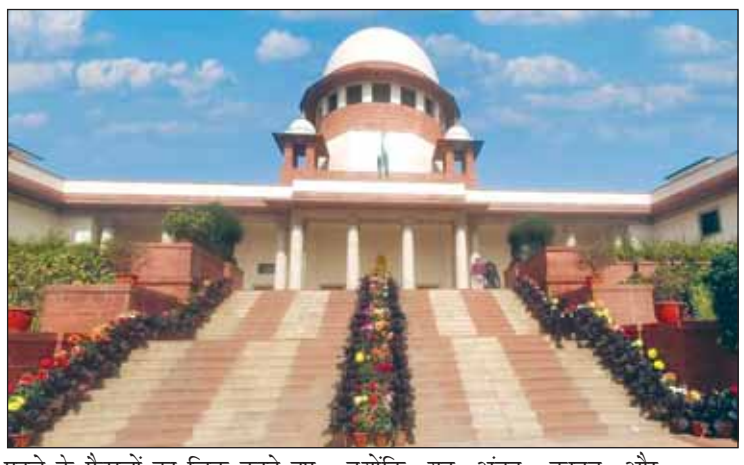

नई दिल्ली (आरएनएस)। चुनावों के दौरान होने वाली धांधली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बूथ कैप्चरिंग फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में धांधली को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड में एक मतदान केंद्र पर दंगा करने के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। अपने पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि मतदान(वोटिंग) की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। पीठ ने कहा कि मतदान प्रणाली का सार मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसलिए बूथ कैप्चरिंग या फर्जी मतदान के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की गोपनीयता जरूरी है। यह देखते हुए कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मतदाता बिना किसी डर के अपना वोट डाले और अपने वोट का खुलासा होने पर पीड़ित हो। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। चुनाव एक ऐसा तंत्र है जो अंततः लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने लक्ष्मण सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना) और 147 (दंगा) के तहत दोषी ठहराया गया था। इसने कहा कि चूंकि राज्य ने सिंह को दी गई छह महीने की कैद के खिलाफ अपील को प्राथमिकता नहीं दी है, इसलिए यह मामला वहीं टिका हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि विधानसभा के एक सदस्य द्वारा भी बल प्रयोग दंगे के रूप में स्थापित होता है।

कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक खर्च हुए 9725 करोड़ : केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। स्वास्थ्य राज्य मंत्री पवार ने कहा कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच हमारे पास कोविड-19 रोधी टीकों की 135 करोड़ खुराकें उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हालांकि हम इस बात का अभी सटीक अनुमान नहीं लगा सकते कि टीकाकरण अभियान कब तक पूरा होगा। फिर भी हमें उम्मीद है कि देश में दिसंबर तक 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले सभी लोगों को कोरोना रोधी टीका लग जाएगा।

देश में टीकाकरण कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि को लेकर भारती प्रवीण पवार ने बताया कि अभी तक इस अभियान में 9725.15 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसमें टीकों की खरीद और उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की बदलती प्रवृत्ति को देखते हुए टीकाकरण अभियान कब तक पूरा होगा इसका सटीक अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। इसके अलावा इस सवाल पर कि क्या बेलैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, पवार ने कहा कि इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दोनों दवाएं (एम्फोटेरिसिन बी डिऑक्सीकोलेट और पोसाकोनाजोल) भारतीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मई में सलाह दी थी कि ब्लैक फंगल को अधिसूचिक महामारी घोषित करें।

पवार ने बताया कि कोरोना के कुल मामलों में से करीब 11 फीसदी में मरीज की आयु 20 वर्ष से कम थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नियामक सीडीएससीओ ने बच्चों के लिए (दो से 18 वर्ष आयु वर्ग) टीके पर भारत बायोटेक को होल-विरियन इनएक्टिवेटेड सार्स कोव-2 टीके के दूसरे और तीसरे चरण के तथा कैडिला हेल्थकेयर को डीएनए आधारित टीके के तीसरे चरण के ट्रायल की (12 वर्ष और उससे अधिक आयु) मंजूरी दे दी है।

अगले सप्ताह शुरू होगा बच्चों पर कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है जिसके लिए सरकार पहले सी तैयार रहना चाहती है। इन तैयारियों में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना भी शामिल है। बच्चों के लिए वैक्सीन आने की उम्मीद में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल शुरू होगा।

सूत्रों के मुताबिक 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और अब दूसरी डोज के परीक्षण की तैयारी है। इससे पहले 6 से 12 साल के उम्र के बच्चों का ट्रायल भी हो चुका है। इन परीक्षण का केंद्र एम्स है, यहां पर 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का परीक्षण हुआ है। यहां पर 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी खुराक पहले ही दी जा चुकी है। कुछ दिनों पहले एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सितंबर महीने में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। बता दें कि बच्चों के ये ट्रायल तीन चरण में किए जा रहे हैं, जिनमें 12 से 18 साल, 6 से 12 साल और 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। हाल ही में केंद्र ने दिल्ली हाइ कोर्ट को बताया था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर किया जा क्लिनिकल ट्रायल जल्द ही पूरा होने वाला है।

सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए एक समान कानून की मांग

» सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव खत्म करने के लिए दायर हुई याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सभी धर्म के पूजा स्थलों के लिए एक समान कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अभी वर्तमान में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के बड़े पूजा स्थलों पर देश की विभिन्न राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है, जबकि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक आधार पर विभिन्न पूजा स्थलों में भेदभाव को समाप्त कर सबके लिए एक जैसा दिशा-निर्देश देने, या केंद्र सरकार को सबके लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान में देश के 18 राज्यों ने हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के चार लाख पूजा स्थलों पर नियंत्रण कर रखा है। इन मंदिरों से होने वाली आय का एक बेहद छोटा हिस्सा इन्हें देकर शेष पूरा पैसा राज्य सरकारों के नियंत्रण में चला जाता है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम और ईसाई धर्म के पूजा स्थलों पर किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। हिंदू, जैन और सिख धर्मों के पूजा स्थलों पर नियंत्रण के लिए इन राज्यों में 30 से ज्यादा कानून बनाए गए हैं। इनके द्वारा मंदिरों की चढ़ावे से होने वाली आय, मंदिरों की संपत्ति और रखरखाव से संबंधित कानून बनाए गए हैं। जबकि अन्य धर्मों के कानूनों के लिए इसी प्रकार की बात नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी कानूनों को चुनौती दी गई है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि अगर सरकार मंदिरों का नियंत्रण करना चाहती है तो उसे इसके संदर्भ में पूरे देश के सभी धर्मों के पूजा स्थलों के बारे में एकरूपता लानी चाहिए।

इसके पहले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) इस मुद्दे को उठा चुका है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मांग की है केंद्र सरकार देश के चार लाख से ज्यादा धर्म स्थलों-मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने की भी मांग की गई है जिससे सभी धर्मों को एक समानता के सिद्धांत पर लाया जा सके।

24 घंटों में 35 हजार से ज्यादा नए मामले, देश के आठ राज्यों में अभी भी बेकाबू कोरोना

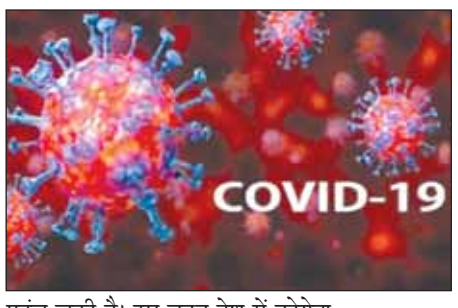

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना की दूसरी लहर ढ़लान पर तो है, लेकिन पूर्वोत्तर के आठ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी बेकाबू है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जबकि इस दौरान 483 मरीजों की मौत दर्ज की गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ो के अनुसार देश में कोविड के टोटल केसेज की संख्या 3,12,93,062 हो गई है, जिनमें से 4,19,470 की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 38,740 लोगों ने कोरोना को हराया है। अब तक कोविड से रिकवर होने वालों की संख्या 3,04,68,079 पहुंच चुकी है। इस वक्त देश में कोरोना के 4,05,513 ऐक्टिव केस हैं। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस का डेली पॉजिटिविटी रेट 3 प्रतिशत से नीचे बरकरार है। वहीं पूर्वोत्तर समेत कुल 8 राज्य ऐसे हैं, जहां कोविड-19 की स्थिति काबू में नहीं है। इन राज्यों में डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा रह रहा है। आंकड़ों से केंद्र सरकार का डर बढ़ रहा है कि सख्त माइक्रो-लेवल कंटेनमेंट के अभाव में ये राज्य तीसरी लहर का ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। इन राज्यों में न सिर्फ कोविड केसेज में उछाल दिख रहा है, बल्कि पॉजिटिविटी रेट भी 10त्न से ज्यादा है। 14 से 20 जुलाई के बीच, साप्ताहिक आधार पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के के 47 जिलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। जबकि 55 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5-10 प्रतिशत के बीच है।

कई जिलों में 30 प्रतिशत से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट- राजस्थान के जैसलमेर का पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे ज्यादा (41 प्रतिशत) है। राज्य के अन्य जिले जैसे सवाई माधोपुर, बरन, झालावाड़, टोंक और राजसमंद में भी पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। केरल के मल्लापुरम, कासरगोड़, कोझिकोड़, पलक्कड़ और तृश्शूर समेत नौ जिलों में पॉजिटिविटी दर ज्यादा है। सिक्किम के दक्षिणी जिले और नगालैंड के कोहिमा में भी पॉजिटिविटी रेट 30 प्रतिशत से ज्यादा है।

मेरे फोन भी किए गए टैप : राहुल गांधी

» सुरक्षाकर्मियों से भी हर बात की रिपोर्ट मांगने का लगाया आरोप

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर को विपक्षी नेताओं के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनके सारे फोन भी टैप किए जा रहे थे। यही नहीं राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सुरक्षाकर्मियों से कहा गया था कि मैं जो कुछ भी कहता हूं, वे उसकी रिपोर्ट सौंपें। राहुल गांधी ने पेगासस फोन हैकिंग की जांच कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की भी मांग की है, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह संभावित टारगेट नहीं हैं और मेरा फोन टैप किया गया था। राहुल गांधी ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा कि सिर्फ यही फोन नहीं बल्कि सभी फोन्स को टैप किया गया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि मेरी बातचीत पर निगरानी रखी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों के फोन कॉल आए, जो मेरे फोन को टैप कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दोस्तों के पास भी ऐसे कॉल आए थे कि फोन टैप किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं था कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है।

संसद में विपक्ष का जारी रहा हंगामा... लोकसभा में कार्यवाही की शुरू होते ही हंगामा

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। शुरुआत के साथ की कुछ विपक्षी सदस्य वेल की और दौड़े लेकिन विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। स्पीकर ओम बिड़ला टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल का निरीक्षण करना चाहते थे। बिड़ला ने सदन की ओर से भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं। सदस्यों ने मेज भारतीय दल के समर्थन में अपनी-अपनी मेज थपथपाई।

सदन की कार्यवाही जितनी देर चली उसमें विभिन्न संसदीय पैनलों में नए सदस्यों की नियुक्ति और चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित किए गए क्योंकि कुछ सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किए गए हालिया फेरबदल में मंत्री बन गए हैं। अब सदन की कार्यवाही सप्ताहांत के बाद सोमवार को होगी। उल्लेखनीय है कि मानसून सत्र की लागातार चौथी बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने स्पीकर को दिखाए फोन- सदन में इसके तुरंत बाद ही, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कई सदस्य सदन के वेल के पास एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सरकार से पेगासस स्पाईवेयर पर खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी। उन्होंने स्पीकर को अपने फोन भी दिखाए। अकाली दल की हरसिमरत कौर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग वाली तख्ती लिए हुए थीं।

मास्क नहीं पहने हुए सदस्यों पर स्पीकर ने कसा तंज- बिड़ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान पर जवाब दे रहे हैं और सदस्यों को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए कुछ सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। कृपया कोविड दिशानिर्देशों का पालन करें। आपको समय आने पर अपने सभी मुद्दों को उठाने का अवसर दिया जाएगा।

हंगामा नहीं रुका तो पूरे दिन की कार्यवाही स्थगित - स्पीकर के सख्त रुख को देखकर सदस्यों ने मास्क पहने और फिर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बंद न होने पर बिड़ला ने 11.20 बजे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी दलों ने फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पर चेयर पर बैठे किरीट सोलंकी ने कहा कि वरिष्ठ सदस्यों को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता है और कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

एक जनवरी 2022 से लगेगा प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध- पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस साल की शुरुआत में जारी हुई मसौदा अधिसूचना के अनुसार कुछ निर्धारित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर एक जनवरी 2022 से प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने यह जानकारी सिंगल यूज प्लास्टिक को चलन से बाहर करने की योजना पर एक सवाल के जवाब में दी। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयरबड्स, गुब्बारों वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के ध्वज, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक आदि शामिल हैं।